KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

(PERMIT FORM)

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

ID No. :-	**11082015006**	Block/Sector	**-----/N/A**
Plot/House	**P.NO-127/219 A/-----**	Scheme	**-----**
Permit Date	**03-08-2016**	Application Date	**11-08-2015**
Permit No.	**342/ENF/15-16**		
Area(Place)	**JUHI KALAN**		
Land Usage	**Group Housing**		
Applicant's Name	**ICON DEVELOPERS PARTNER SRI RAKESH KUMAR GARG**		
Present Address	**35 CANNT KANPUR**		

Sanctioned vide order dated : **27-07-2016 V.C** by authorized officer.Building permission granted as per sanctioned building plan enclosed.Subject to The Conditions as per annexuse enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.

Authorised Signatory
एन० के० भाटिया
अधिशासी अभियन्ता
(शमन प्रकोष्ठ)
का०वि०प्रा०

अनुज्ञा की शर्तें
1– यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूमि में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और ना ही समाप्त होता है और ना ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही हेतु निरोग्य अथवा विधिक करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी प्रकार का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2– यह अनुज्ञा किसी भी समय अधिनियम की धारा 15 (9) के अंतर्गत प्रत्योवदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारदान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3– अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी, परन्तु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्रस्तर संख्या–3.1.1 क के अंतर्गत परिवर्तन हेतु निर्माण अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।
4– यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहॉ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार न हटा दिए जायें।
5– भूखण्ड पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग, तथा वृक्षारोपण की व्यवस्था करनी होगी।
6– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 की उपविधि संख्या–13.1(1) से आच्छादित भवनों का निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
7– शमन मानचित्र के संबंध में निकट भविष्य में यदि कोई देयता बनती है तो पक्ष द्वारा भुगतान करना होगा।
8– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के उपविधि संख्या–3.1.8 से आच्छादित भवनों में अधिनियम की धारा 15 (ए)–1 के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अधिनियम की धारा 15(ए)–2 से आच्छादित भवनों यथा व्यवसायिक/ग्रुप हाउसिंग भवनों में बिना पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये भवन में प्रवेश वर्जित होगा।
9– भू–स्वामित्व विषयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी तथा अशमनीय भाग को अपने हर्जे–खर्चे पर स्वयं तोड़कर एक माह के अंदर प्राधिकरण को अवगत कराना होगा। अन्यथा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
10– मानचित्र की स्वीकृति भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा महायोजना–2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रदान की जा रही ळें
11– उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(3)/32(1) में प्रदत्त उपरोक्त स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर पर अधिनियम की धारा 27, 26 एवं 28 में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
12– उपरोक्त किसी भी शर्त का पालन न करने की दशा में प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
13– समस्त निर्माण पूर्ण होने व औपचारिकताएं पूर्ण होने पर नियमानुसार प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
14–भवन की सुरक्षा के सम्बन्ध मे पूर्व मे प्रस्तुत स्ट्रक्चल डिजाइन /ड्राइंग सहित प्रमाण पत्र अतिरिक्त मंजिलो हेतु आई0आई0टी0/एच0बी0ठी0आई से भेट कराकर 15 दिनो मे प्रस्तुत करना होगा ।
15– उपनिदेशक फायर सर्विस द्वारा अनापत्ति मे अंकित समस्त शर्तो /प्राविधानो का पालन करना होगा ।
16–मानचित्र मे दर्शित बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग पार्किंग हेतु किया जायेगा ।